

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक २२६./स्थानसैट/2020

जबलपुर, दिनांक २९.८.२०२०

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (निवर्तमान सैट) की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रिक्त रिकार्ड सप्लायर, जमादार के पद के वेतनबँड रु.16100—50900 में अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कालम नंबर 04 में दर्शित स्थान पर पदोन्नत करते हुये पदस्थ किया जाता है:—

क्र०	शासकीय सेवक का नाम व पदनाम	पदोन्नत पद का नाम	पदोन्नति पर पदस्थापना	वर्तमान पदस्थापना	रिमार्क
01	02	03	04	05	06
01.	श्री अमृतलाल बड़ौनिया, लाइब्रेरी अटेन्डेंट	रिकार्ड सप्लायर	मुख्यपीठ जबलपुर	खण्डपीठ इंदौर	रिक्त पद पर
02.	श्री देव प्रसाद श्रेष्ठ, फर्राश	जमादार	मुख्यपीठ जबलपुर	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर
03.	श्री शंकर पूजाजी, भूत्य	रिकार्ड सप्लायर	मुख्यपीठ जबलपुर	खण्डपीठ इंदौर	रिक्त पद पर

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय,
के आदेशानुसार

५९—
(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठमांक २९७./स्थानसैट/2020

जबलपुर, दिनांक २९.८.२०२०

प्रतिलिपि:—

- प्रिसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर/गवालियर।
- रजिस्ट्रार (प्रशासन) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
- रजिस्ट्रार कम पी०पी०एस०, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
- सीनियर प्रिसिपल सिस्टम एनालिस्ट (आई.टी.) की ओर इस अनुरोध के साथ कि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईट में अपलोड कराने हेतु।
- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) मुख्यपीठ जबलपुर, खण्डपीठ इंदौर/गवालियर।
- रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
- असिस्टेंट रजिस्ट्रार (ई.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
- प्रोटोकाल अनुभाग, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
- स्थापना/लेखानुभाग उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) जबलपुर/इंदौर/गवालियर।
- श्री अमृतलाल बड़ौनिया, लाइब्रेरी अटेन्डेंट निवर्तमान सैट खण्डपीठ इंदौर, श्री देव प्रसाद श्रेष्ठ, फर्राश, मुख्यपीठ जबलपुर एवं श्री शंकर पूजाजी, भूत्य खण्डपीठ इंदौर को निर्देशित किया जाता है कि यदि वे पदोन्नत पद एवं पदस्थापना पर 15 दिवस के अन्दर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो, लिखित में अपनी सहमति प्रस्तुत करेंगे कि वे पदोन्नति स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उनके पदोन्नति प्रकरण पर आगामी 01 वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगा।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)